03/11/10

संख्याः– /xxviii–5–2017–80/2009T.C.

प्रेषक,

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 28 सितम्बर, 2017

विषयः पी0आई0एल0 याचिका संख्या–12/2009 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के कम में टी0बी0 सेनोटोरियम हास्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4प/अन्य/5/30/2016/25997 दिनांक 27.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल में मल्टीस्पेशियालटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु चयनित स्थल के टोपोग्राफी एवं कन्टूर सर्वे तथा मृदा परीक्षण हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली द्वारा विभाग को ₹5.00 लाख का प्रस्ताव/कोटेशन प्रेषित किया गया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, मतदेय, 03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 06–क्षयरोग के रूझालय के मानक मद में 25–लघु निर्माण में प्रावधानित ₹8.00 लाख, जोकि शासनादेश संख्या–728/दिनांक–27 जुलाई,2017 द्वारा व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है, में से उक्त प्रयोजन हेतु आकलित लागत **₹5.00 (रूपया पांच लाख मात्र)** का व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,देहरादून उत्तरदायी होंगे।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3–किसी भी शासकीय व्यय हेतु Uttrakhand Procurement Rules, 2017 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

C:\Users\...\Desktop\2017-18\General\Letter.doc

4– कार्यदायी संस्था से आंगणन की मूल प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– यह आदेश वित्त विभाग,उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–30 जून,2017 में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

संख्या– 925 (1)/XXVIII–5–2017–80/2009 T.C तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
6–एन0आई0सी0।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।

\General\Letter.doc